मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मॅत्रालय, भोपाल

दिनॉक 15 सितम्बर 2016

कर्मांक–बी–15–18/2011/14–2

प्रति,

संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
म.प्र. भोपाल

विषय–रबी वर्ष 2016–17 हेतु बीज विक्रय दर निर्धारण बाबत्।

अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में दिनॉक 08 सितंबर 2016 को सम्पन्न हुई प्रमाणित रबी बीज विक्रय दर निर्धारण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा रबी वर्ष 2016–17 हेतु विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों की निम्नानुसार उत्पादन, वितरण अनुदान की दरें तथा बीज विक्रय दरें निर्देशों के साथ निर्धारित की जाती है :–

(1) विभिन्न फसलों के लिए उपार्जन दरें :–

समिति व्दारा यह निर्णय लिया गया कि संस्थाओं व्दारा बीज उपार्जन की जो दरें बोनस शामिल कर निर्धारित की गई, उसके अनुसार बीज उत्पादक कृषकों को संस्थाओं व्दारा भुगतान देय होगा।

(2) वितरण अनुदान :– विभिन्न फसलों पर बीज वितरण अनुदान निम्नानुसार देय होगा :–

(इकाई – रूपये प्रति क्विंटल)

वितरण अनुदान की दरें:–

क्र.	फसल का नाम	वितरण अनुदान	योजना का नाम, जिससे अनुदान देय होगा
1	2	3	4
1	गेहूँ ऊँची किस्में (10 वर्ष तक)	1000.00	एन.एफ.एस.एम.के जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से शेष जिलों में रा0कृ0वि0योजना से देय होगा।
2	गेहूँ ऊँची किस्में(10 वर्ष से अधिक)	1000.00	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से देय होगा।
3	गेहूँ बोनी किस्में (10 वर्ष तक)	1000.00	एन.एफ.एस.एम.के जिलों में राष्ट्रीय खाद्य मिशन से शेष जिलों में रा0कृ0वि0योजना से देय होगा।
4	गेहूँ बोनी किस्में(10 वर्ष से अधिक)	1000.00	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से देय होगा।
5	चना (15 वर्ष तक)	1600.00	एन.एफ.एस.एम. योजना से देय होगा।
6	चना (15 वर्ष से अधिक)	1600.00	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से देय होगा।
7	चना काबुली (15 वर्ष तक)	1600.00	एन.एफ.एस.एम. योजना से देय होगा।
8	चना काबुली (15 वर्ष से अधिक)	1600.00	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से देय होगा।
9	मटर (अर्किल को छोडकर) 15 वर्ष तक	1600.00	एन.एफ.एस.एम. योजना से देय होगा।
10	मटर(अर्किल को छोडकर) 15 वर्ष से अधिक	1600.00	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से देय होगा।

11	मसूर (15 वर्ष तक)	1600.00	एन.एफ.एस.एम. योजना से देय होगा।
12	मसूर (15 वर्ष से अधिक)	1600.00	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से देय होगा।
13	सरसों/अलसी (दस वर्ष तक)	1300.00	नेशनल मिशन ऑन आईलसीड एवं आईलपाम योजना से देय होगा।
14.	सरसों/अलसी (दस वर्ष से अधिक)	1200.00	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से देय होगा।
15.	मूँग (ग्रीष्मकालीन) समस्त किस्में	1800.00	एन.एफ.एस.एम.योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से देय होगा।
16.	तोरिया (समस्त किस्में)	1200.00	नेशनल मिशन ऑन आईलसीड एवं आईलपाम योजना से देय होगा।

(3) <u>विभिन्न फसलों की विक्रय दरें निम्नानुसार होगीं :-</u>

(इकाई रूपये प्रति क्विंटल)

क.	फसल का नाम	संस्था की सकल विक्रय दर	वितरण अनुदान की दर	कृषकों के लिए प्रभावी दरें
1	2	3	4	5
1	गेहूँ ऊँची किस्में (10 वर्ष तक)	3870/-	1000/-	2870/-
2	गेहूँ ऊँची किस्में (10 वर्ष से अधिक)	3820/-	1000/-	2820/-
3	गेहूँ बोनी किस्में (10 वर्ष तक)	3250/-	1000/-	2250/-
4	गेहूँ बोनी किस्में (10 वर्ष से अधिक)	3200/-	1000/-	2200/-
5	चना (15 वर्ष तक)	8400/-	1600/-	6800/-
6	चना (15 वर्ष से अधिक)	8400/-	1600/-	6800/-
7	चना काबुली (15 वर्ष तक)	8900/-	1600/-	7300/-
8	चना काबुली (15 वर्ष से अधिक)	8900/-	1600/-	7300/-
9	मटर (अर्किल को छोडकर) 15 वर्ष तक	5000/-	1600/-	3400/-
10	मटर (अर्किल को छोडकर) 15 वर्ष से अधिक	5000/-	1600/-	3400/-
11	मटर अर्किल	5300/-	निरंक	5300/-
12	मसूर (15 वर्ष तक)	7700/-	1600/-	6100/-
13	मसूर (15 वर्ष से अधिक)	7600/-	1600/-	6000/-
14	तोरिया (समस्त किस्में)	4800/-	1200/-	3600/-
15	सरसों (10 वर्ष तक)	6600/-	1300/-	5300/-
16	सरसों (10 वर्ष से अधिक)	6500/-	1200/-	5300/-
17	अलसी (10 वर्ष तक)	7200/-	1300/-	5900/-
18	अलसी (10 वर्ष से अधिक)	7100/-	1200/-	5900/-
19.	जौ (बार्ले) (समस्त किस्में)	3000/-	निरंक	3000/-
20.	मूँग (ग्रीष्म) 15 वर्ष तक	8800/-	1800/-	7000/-
21.	मूँग (ग्रीष्म) 15 से अधिक	8800/-	1800/-	7000/-

अन्य निर्देश :–

1. कृषि विभाग के पास योजनान्तर्गत उपलब्ध उत्पादन अनुदान के वितरण के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएगें ।
2. नगद बीज प्रदाय की मात्रा का इन्द्राज कृषक की बही/ऋण पुस्तिका में करना अनिवार्य होगा।
3. संस्थाओं के पास उपलब्ध प्रमाणित बीज के वितरण का अधिकतम 30 प्रतिशत बीज संस्थायें नगद में विक्रय कर सकेगी। बीज निगम/संस्थाओं द्वारा वितरित किये जाने वाले बीज पर वितरण अनुदान का भुगतान संबंधित जिलों से किया जायेगा।
4. बिन्दु कमॉक–3 की तालिका के कालम कमॉक–3 में उल्लेखित संस्थाओं के लिए निर्धारित सकल विक्रय दर संस्थाओं द्वारा बीज का विक्रय कृषकों को किया जायेगा ।
5. वितरण अनुदान का भुगतान उप संचालक कृषि द्वारा सीधे कृषकों को उनके बैंक खाते में जमा किया जायेगा । उप संचालक कृषि, वितरण अनुदान की राशि बीज प्रदाय संस्था को किसानों में वितरण करने हेतु कदापि उपलब्ध नहीं करायेगें। यह राशि उप संचालक कृषि किसानों को स्वयं उनके खाते में भुगतान करेगें, यह सुनिश्चित किया जाये।
6. सोपा, कृभको, इंडियन फार्म फारेस्ट्री डेव्हलपमेंट को–आपरेटिव लिमिटेड एवं अन्य अनुमोदित संस्थाओं तथा डीपीआईपी द्वारा गठित बीज उत्पादक कम्पनियों द्वारा वितरण किये जाने वाले बीजो पर भी उपरोक्त प्रकिया के अनुसार ही अनुदान दिया जायेगा।
7. कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा बीज उठाते समय बीज उत्पादक संस्था के केंद्र अथवा विपणन संघ के डबल लाक केंद्र को रिलीज आर्डर एवं उसके साथ बीज मात्रा की राशि का डिमांड ड्राफ़्ट (कमीशन की राशि घटाने के पश्चात) संलग्न कर देना होगा।
8. कृषि साख समितियों द्वारा उठाई जाने वाली (संस्था के केद्र अथवा विपणन संघ के डबल लाक) बीज मात्रा का शत–प्रतिशत विकय करना होगा। समिति द्वारा प्राप्त किये गये बीज को संस्था द्वारा वापस नहीं लिया जायेगा । सहकारी समितियों को पूर्व से स्वीकृत कमीशन की राशि रूपये 80 प्रति क्विंटल में रू. 20/– प्रति क्विंटल की बढ़ौत्री की जाकर रू. 100/– प्रति क्विंटल तथा समिति सेवक को मानदेय प्रोत्साहन राशि रूपये 30/– एवं मार्कफेड को भंडारण की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 20/–प्रति क्विंटल यथावत् रखा जाकर कुल राशि रू. 150/– प्रति क्विंटल रहेगा ।
9. संस्थाओं को उपलब्ध कराये गये अग्रिम अनुदान का समायोजन उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप प्राथमिकता से किया जायेगा। प्रत्येक जिले में बीज की उपलब्धता एवं वितरण की केंद्रवार जानकारी संस्थाओं द्वारा उनके पोर्टल पर अंकित करने एवं इसे निरन्तर अपडेट व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

बैठक अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद् प्रस्ताव के साथ समाप्त की गई ।

15/9/16

(बी.एस.धुर्वे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

पृ.क्रमॉक/बी–15–18/2011/14–2 भोपाल, दिनॉक 15 सितंबर 2016

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, सह पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म.प्र. भोपाल ।
2. संचालक, सियेट/उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, म.प्र. भोपाल ।
3. प्रबंध संचालक, बीज निगम/एम.पी.एग्रो/तिलहन संघ/राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ/बीज प्रमाणीकरण संस्था/अपैक्स बैंक/बीज महासंघ, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग..............................(समस्त)
6. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला..................................(समस्त)

विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल ।
स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल
उप कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय भोपाल।

15/9/16

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग